p>

Title: Need to implement minimum wages under Plantation Act 1948 and 1951 in Alipurdwar Parliamentary Constituency, West Bengal.

श्री जॉन बर्ला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं चाय बागान अलीपुरद्वारस क्षेत्र से आया हूं । वहां करीबन 373 चाय बागान हैं । वहां बहुत सारे चाय बागान क्षेत्र अभी बंद पड़े हुए हैं । वहां कुछ ऐसे गार्डेंस हैं, जहां पी.एफ. और ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मजदूर से यहां सांसद बनकर आए हैं, यह बहुत अच्छा है ।

श्री जॉन बर्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद चाय बागान का परमानेंट वर्कर हूं । अभी मैं कंपनी क्वार्टर में रहता हूं । अभी मेरे पास एक इंच भी जमीन नहीं है । इस काम में 176 रुपये से हमारा संसार चलता है । 176 रुपये में बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और हम दो, हमारे दो को चलाना बहुत मुश्किल होता है । पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं के लिए जमीन का पट्टा मिला है, लेकिन हमारे पास एक इंच जमीन भी नहीं है । इसलिए कम से कम मिनिमम वेज प्लाण्टेशन एक्ट 1948 और 1951 लागू हो । हमें आठ घण्टे काम करने पर जितना मिलना चाहिए, वह हमें नहीं मिल रहा है । यह जो एक्ट बना है, वह केवल खाता-कलम में ही सीमित रह गया है । यह एक्ट इसी सदन से बना है, लेकिन हमारे क्षेत्र में यह अभी तक लागू नहीं है । महोदय, यह लागू होना चाहिए ।